न्यायालय :– उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती शंकुतला चौधरी आर.ए.एस.

मि0न0 – 05/2018

अनवान : –

1. जलेसिंह पुत्र पातो पत्नी गुलजारी पुत्री लिखमाराम जाति जाट निवासी ग्वालिसर तहसील राजगढ़ जिला चुरू।

अपीलान्ट

बनाम

1. श्यामा पुत्री लिखमाराम पत्नी जगराम जाति जाट निवासी बिरमी पट्टा तहसील राजगढ़
2. चावली पुत्री भागा पत्नी सरजीत जाति जाट निवासी नांदड़ी तहसील व जिला हिसार।
3. भतेरी पुत्री भागा पत्नी दीवानसिंह जाति जाट निवासी नांदड़ी तहसील व जिला हिसार।
4. राजबाला पुत्री शान्ति दोहिती भागा जाति जाट निवासी नांदड़ी तहसील व जिला हिसार।
5. विमला पुत्री शान्ति दोहिती भागा जाति जाट निवासी नांदड़ी तहसील व जिला हिसार।
6. सुमन पुत्री शान्ति दोहिती भागा जाति जाट निवासी नांदड़ी तहसील व जिला हिसार।
7. राजकुमार पुत्री शान्ति दोहिता भागा जाति जाट निवासी नांदड़ी तहसील व जिला हिसार।
8. परमेश्वरी पुत्री भागा पत्नी भागुराम जाति जाट निवासी ढाणी खुर्द तहसील भूना जिला फतेहाबाद।
9. कृष्णा पुत्री भागा पत्नी सुलतान जाति जाट निवासी ढाणी बड़ी तहसील राजगढ़।
10. मांगेराम पुत्र भागा जाति जाट निवासी किशनपुरियां तहसील राजगढ़।
11. कमला पुत्री पातो पत्नी गुलजारी पुत्री लिखमाराम जाति जाट निवासी ग्वालिसर तहसील राजगढ़।
12. सरपंच ग्राम पंचायत भाडी तहसील भादरा जिला हनुमागनढ़।
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व तहसील भादरा।
14. विजय सिंह पुत्र ताराचन्द जाति जाट निवासी बिरमी पट्टा त0 राजगढ।

रेस्पोडेन्टस

उपखण्डअधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

प्रार्थना पत्र विरूद्ध नामान्तरण संख्या 109 दिनांक 27.01.1983 ग्राम पंचायत भाडी अन्तर्गत धारा 75लैण्ड रैवेन्यू एक्ट

उपस्थिति :– श्री दीवानसिंह वकील अपीलान्ट
श्री प्रभुराम गोदारा रेस्पोडेन्टस
श्री अदरीश खान रेस्पोडेन्टस सं. 12

आदेश दिनांक : 01/02/2022

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि लिखमाराम के जड़िया, भागा, श्यामा, पातो व जयलाल वारिसान थे। जिन में से जड़िया, भागा, पातो व जयलाल फौत हो चुके है, केवल श्यामा ही जीवित है। जयलाल लावल्द अविवाहित फौत हुआ था। भागा व श्यामा ने छुपे तौर पर तथ्य छुपाकर जयलाल के नाम दर्ज कृषि भूमि का नामान्तरण संख्या 109 दिनांक 27.01.1983 अपने नाम दर्ज करवा कर ग्राम पंचायत भाडी से तस्दीक करवा लिया। अपीलान्ट की ओर से एक अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध इन्तकाल संख्या 109 दिनांक 27.01.1983 रोही मौजा ग्राम भाडी के खसरा संख्या 64, 69, 328, 522, 568, 630, 640 में 8 बीघा 12 बिस्वा अथवा 2.176 हैक्टेयर भूमि जो जयलाल वल्द लिखमाराम के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी, जो भागा व श्यामा ने पातो को वारिस छुपाते हुए अपने साथ–साथ अपनी माता जड़िया के नाम करवा ली। इस प्रकार नामान्तरण संख्या 109 दिनांक 27.01.1983 विधि विरूद्ध होने के कारण अपास्त एवं खारिज किये जाने योग्य है इसलिए आदेश दिनाक 27.01.1983 को अपास्त कर पुनः नामान्तरण रजिस्टर खोला जाकर जरिये विरास्तन नामान्तरण दर्ज किया जावें ताकि अपीलान्ट को अपने खातेदारी हकों से वचिंत न रहना पडे ।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त रेस्पोडेन्ट के द्वारा जवाब पेश किया गया व कथन किया कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है, जो स्वीकार नही है। प्रार्थी जिलेसिंह, जयलाल का वारिस नही है, जयलाल के वारिस उसकी माता जड़िया, बहिन भागा व श्यामा थी, जिनके नाम नामान्तरण संख्या 109 दिनांक 27.01.1983 जयलाल के फौत होते ही दर्ज हो गया था, अप्राथीगण ने छुपाकर कोई नामान्तरण दर्ज नही करवाया है। ग्राम पंचायत भाडी ने पूरी जांच पड़ताल कर सही दर्ज किया था। पातो जिलेसिंह के जन्म से पहले ही फौत हो चुकी थी, इसलिए प्रार्थी पातों का वारिस नही होने के कारण तृतीय पक्षकारान के रूप में अपील पेश करने का अधिकारी नही है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर अपील इसी स्तर पर मय खर्चा खारिज फरमाया जावें।

बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने कथन किया कि रोही मौजा ग्राम भाडी के खसरा संख्या 64, 69, 328, 522, 568, 630, 640 में 8 बीघा 12 बिस्वा अथवा 2.176 हैक्टेयर भूमि जो जयलाल वल्द लिखमाराम के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी, जो भागा व श्यामा ने पातो को वारिस छुपाते हुए अपने साथ–साथ अपनी माता जड़िया के नाम करवा ली। ग्राम पंचायत भाडी द्वारा जारी वारिस प्रमाण पत्र दिनांक 17.05.2015 को खारिज किया जाकर दिनांक 05.09.2016 को पातो पुत्री लिखमा का नाम जोड़कर ग्राम पंचायत भाडी द्वारा वारिस प्रमाण पत्र जारी किया गया, जिसमें पातो के

उपखण्डाधिकारी (राजस्व), भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

जायज वारिसान में जिलेसिंह पुत्र पातो व कमला पुत्री पातो मौजूद है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 75 एलआरएक्ट स्वीकार की जाकर नामान्तरण सं0 109 दिनांक 27.01.1983 निरस्त किया जावें, रेस्पोंडेडस् ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है, जो स्वीकार नही है। प्रार्थी जिलेसिंह, जयलाल का वारिस नही है, जयलाल के वारिस उसकी माता जड़िया, बहिन भागा व श्यामा थी, जिनके नाम नामान्तरण संख्या 109 दिनांक 27.01.1983 जयलाल के फौत होते ही दर्ज हो गया था, अप्रार्थीगण ने छुपाकर कोई नामान्तरण दर्ज नही करवाया है। ग्राम पंचायत भाडी ने पूरी जांच पड़ताल कर सही दर्ज किया था। पातो जिलेसिंह के जन्म से पहले ही फौत हो चुकी थी, इसलिए प्रार्थी पातों का वारिस नही होने के कारण तृतीय पक्षकारान के रूप में अपील पेश करने का अधिकारी नही है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर अपील इसी स्तर पर मय खर्चा खारिज फरमाया जावें।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया व मूल पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। अपीलान्ट ने रोही मौजा भाडी की वाद भूमि में अपनी माता को वारिस छुपाते हुए नामान्तरण सं0 109 दिनांक 27.01.1983 दर्ज करने का कथन किया जो प्रस्तुत दस्तावेजों व अन्य साक्ष्य, शपथ पत्रों से साफ जाहिर है। ग्राम पंचायत भाडी द्वारा भी पूर्व में जारी वारिस प्रमाण पत्र जरिये प्रस्ताव खारिज कर पुनः पातो देवी व उसके जायज वारिसान को शामिल करते हुए वारिस प्रमाण पत्र जारी किया गया जो शामिल पत्रावली है। नामान्तरण सं0 109 दिनांक 27.01.1983 में पातों देवी या उसके जायज वारिसान को छोड़ते हुए तस्दीक किया गया है, जिससे अपीलान्ट आज दिनांक तक अपने खातेदारी हकों से वचिंत है जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विरूद्ध है।

अतः अपील अपीलान्ट अन्तर्गत धारा 75 एल आर एक्ट स्वीकार की जाकर तहसीलदार राजस्व भादरा को आदेशित किया जाता है कि वे नामान्तरण सं0 109 को आदेश दिनाक 27.01.1983 को निरस्त व अपास्त कर पुनः नामान्तरण रजिस्टर खोला जाकर व वारिसान की जांच कर रोही मौजा ग्राम भाडी के खसरा संख्या 64, 69, 328, 522, 568, 630, 640 में 8 बीघा 12 बिस्वा अथवा 2.176 हैक्टेयर भूमि जो जयलाल वल्द लिखमाराम के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी का विरासतन नामान्तरण पुनः दर्ज किये जाने की कार्यवाही अमल मे लाई जावे।

आदेश आज दिनांक 01/02/2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला-हनुमानगढ़

(शंकुतला चौधरी)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व), R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़